कार्यालय मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

पत्रांक– 460 /Moradabad-12702/UP-077/2015, दिनांक, लखनऊ, अगस्त 26, 2015

सेवा में,

वन संरक्षक,
मुरादाबाद वृत्त,
मुरादाबाद ।

विषय – मुरादाबाद–ठाकुरद्वारा–काशीपुर मार्ग (एस0एच0–41) के किमी0 368 से 370 के मध्य ग्राम–जलालपुर खालसा के खसरा सं0–29 में विकसित किये जा रहे इंडियन ऑयल कार्पो0 लि0 के रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.1512375 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भ – आपके कार्यालय का पत्रांक–624 / 22–2, दि0 07.08.15

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दि0 22.07.15 द्वारा चिन्हित सूचनाओं का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है। प्रथमदृष्टया प्रस्ताव के अवलोकन से विदित होता है कि वांछित सूचनाओं का बिन्दुवार निराकरण न किये जाने के कारण प्रस्ताव के परीक्षण में अनावश्यक समय नष्ट होता है, यह स्थिति खेदजनक है। अतएव भविष्य में वांछित सूचनाओं का बिन्दुवार निराकरण किया जाय। पत्र में निराकरण किये जाने वाली सूचना में पृष्ठ संख्या अंकित किया जाना सर्वोत्तम होगा। कतिपय बिन्दुओं की सूचना पूर्ण एवं सुसंगत नहीं है, जो निम्न प्रकार है :–

1– आप अवगत हैं कि रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग के प्रस्ताव में जारी होने वाली स्वीकृतियों में प्रवेश एवं निकासी मार्ग में बाधक वृक्षों के पातन की अनुमति दी जाती है। इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दि0 22.07.15 के बिन्दु–1 में प्रवेश एवं निकासी मार्ग में बाधक वृक्षों की स्थिति स्पष्ट करने की अपेक्षा की गई थी, जो उपलब्ध नहीं कराई गई है। अतएव लो0नि0वि0 द्वारा अनुमोदित ले–आउट प्लान के अनुरूप प्रवेश एवं निकासी मार्ग तथा मध्य मार्ग में अवस्थित वृक्षों की संख्या एवं पातन हेतु प्रस्तावित वृक्षों की संख्या एवं उसका विवरण प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाय।

2– उपरोक्त बिन्दु के अनुसार प्रस्ताव के पृष्ठ–34 से 37 तक संलग्न की गई योजना के स्थान पर परियोजना में बाधक वृक्षों के दसगुने पौधों के रोपण एवं 10 वर्षो के अनुरक्षण की योजना प्रस्ताव के साथ संलग्न करने का कष्ट करें।

उपरोक्तानुसार प्रस्ताव को संशोधित करने हेतु किसी प्रतिनिधि को अधिकृत करते हुए प्रस्ताव की मूल प्रतियाँ इस कार्यालय से प्राप्त करा लें तथा उपरोक्तानुसार सूचना / अभिलेख पूर्ण कर तदनुसार पृष्ठ संख्या एवं विषय–सूची को संशोधित कर पूर्ण संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

26/8/15

(डा0 राजीव कुमार गर्ग)
मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– 460 / ,उक्तदिनांक

1– प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, मुरादाबाद को इस आशय से प्रेषित कि उक्तानुसार संशोधित प्रस्ताव वन संरक्षक, मुरादाबाद को शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2– प्रतिलिपि उप प्रबन्धक, (रिटेल सेल्स) इंडियन ऑयल कार्पो0 लि0, मुरादाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

26/8/15

(डा0 राजीव कुमार गर्ग)
मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।